यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.), राज्य कर, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.), राज्य कर, नैनीताल** के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री कलवन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.03.2019 से 19.03.2019 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.03.2018 से 17.03.2018 तक श्री अशोक कुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह - 04/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: इकाई द्वारा कार्यालय में पंजीकृत व्यापारियों का कर निर्धारण व कर की वसूली तथा GST से सम्बन्धित समस्त कार्य किये जाने है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र रानीबाग नौकुकियाताल, भीमताल, भवाली व नैनीताल तथा मल्लीताल के समस्त व्यापारी।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	602.44
2016-17	1053.07
2017-18	169.47(माह 06/2017 तक vat)

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थापना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-							
2016-17	-			शून्य				
2017-18	-							

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
लागू नहीं					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** मुख्यालय से किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव, वित्त **>** आयुक्त कर, वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **डी.डी.ओ कार्य नहीं करता** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.), राज्य कर, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह ..... को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: लागू नहीं

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 "ख"

प्रस्तर-1: कर जमा के चालान उपलब्ध न कराया जाना ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क॰नि॰), नैनीताल की नमूना लेखापरीक्षा में व्यापारी सर्वश्री प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग (टिन न॰ 05003067359) के वर्ष 2013-14 के कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा ₹ 11,85,16,246/- के कर योग्य विक्रय धन पर कुल कर देयता ₹ 31,08,405/- निर्धारित की गयी थी। परन्तु, कर निर्धारण पत्रावली में निम्न त्रैमासों के उनके सम्मुख अंकित कर की राशि के चालान पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थे;

त्रैमास	कर की राशि (₹ में)	सूची के अनुसार जमा की तिथि
प्रथम (अप्रैल से जून)	19026.00	01.05.2013
	19026.00	02.05.2013
	424.00	30.05.2013
	18600.00	20.05.2013
	18866.00	10.05.2013
	9513.00	13.04.2013
	9513.00	02.04.2013
	19541.00	11.05.2013
	19506.00	11.05.2013
	19523.00	13.05.2013
द्वितीय (जुलाई से सितम्बर)	646860.00	सूची के अनुसार
तृतीय (अक्तूबर से दिसम्बर)	190580.00	सूची के अनुसार
चतुर्थ (जनवरी से मार्च)	743869.00	सूची के अनुसार
योग	**17,34,847.00**	

कर निर्धारण आदेश में व्यापारी को ₹ 25,23,747/- के जमा कर का लाभ दिया गया था जबकि उपरोक्तानुसार पत्रावली में ₹ 17,34,847/- के चालान संलग्न नहीं थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि जांचोपरांत आख्या दी जायेगा।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 "ख"</u>

<u>प्रस्तर-2 :</u> **कर का अनारोपण ₹ 3.47 लाख ।**

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर किये गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरोपित किया जायेगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क॰नि॰), नैनीताल की नमूना लेखापरीक्षा में व्यापारी **सर्वश्री सरदार सन्स (टिन न॰ 05003154853)** के **वर्ष 2013-14 के** कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा ₹ 5,23,14,159/- (₹ 3,90,77,260 + ₹ 1,32,36,899) के रेडीमेड गारमेंट्स एवं ₹ 68,34,981/- की exempt goods की खरीद की गयी थी। कर निर्धारण आदेश में करदाता द्वारा किए गए विक्रय रेडिमेंट गारमेंट्स ₹ 4,94,86,487/-, self made uniforms ₹ 74,46,853/- तथा tax against Cr/Dr नोट ₹ 1,50,540/- पर 5% की दर से करारोपण किया गया था। इसके अतिरिक्त exempt goods (cloth) ₹ 69,47,859/- को करमुक्त रखा गया था ।

पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनाँक 16.02.2017 को व्यौहारी को जारी कारण बताओ नोटिस में ₹ 64,11,297.71 की करमुक्त खरीद तथा ₹ 69,47,859/- की करमुक्त बिक्री के समर्थन में बिलों को जाँच हेतु प्रस्तुत करने के लिए चाहा गया था। इसके अतिरिक्त, कर निर्धारण आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि करदाता ने बिक्री के सत्यापन हेतु बिल प्रस्तुत नहीं किए एवं उसके द्वारा करमुक्त बिक्री के 65% बिक्री को शाल व स्टाल की बिक्री मानते हुये करारोपण किया गया। परन्तु, करारोपण करते समय ₹ 69,47,859/- पर 5% की दर से ₹ 3,47,393/- का कर आरोपित न कर इस बिक्री को करमुक्त रखा गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि पारित कर-निर्धारण आदेश कॉपी-पेस्ट में त्रुटिवश गत वर्ष 2012-13 का ही टाइप हो गया जबकि व्यापारी द्वारा करमुक्त खरीद से संबन्धित समस्त अभिलेख पत्रावली में संलग्न हैं। त्रुटिवश गलत आदेश मूल पत्रावली पर संलग्न हो गया जबकि सही आदेश की कॉपी व्यापारी को तामील हुआ है। (कर मुक्त खरीद बिक्री के अभिकरण वांछित है)

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मूल कर-निर्धारण आदेश व व्यापारी को तामील किए गए आदेश (प्रतिलिपि) में भिन्नता है।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग 2 "ब"</u>

<u>प्रस्तर- 3</u>: आई.टी.सी का अधिक लाभ दिया जाना ₹ 0.22 लाख तथा 6.79 लाख की आई टी सी का सत्यापन नहीं कराया जाना।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 6(3)(ड़) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार कराधेय माल के उत्पादन या केप्टिव पावर के ईधन के रूप में उपयोग किए गए पैट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोल, एविएशन टेरबाइन फ्युल, प्राकृतिक गैस और डीजल को छोड़कर) और अन्य ईधन के क्रय पर केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम-1956 की धारा-8 की उप-धारा (1) के अधीन विहित दर से अधिक भुगतान किए गए कर पर आंशिक इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क॰नि॰), नैनीताल की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में निम्न तथ्य संज्ञान में आए:

(i) व्यापारी **सर्वश्री नैनी रिट्रीट, मल्लीताल, नैनीताल (TIN 05003127790)** का **वर्ष 2014-15 के** कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि व्यापारी को coal, wood (₹ 177650/-) तथा solid fuel (₹ 109780/-) की खरीद ₹ 287430/- पर 5% एवं 9.5% की दर से ₹ 19312/- की आई.टी.सी का लाभ अनुमन्य किया गया था जबकि उपरोक्त नियमानुसार व्यापारी को ₹ 8622/- (₹ 287430X3%) की आई.टी.सी अनुमन्य थी। इस प्रकार ₹ 10690/- की आई.टी.सी का लाभ अधिक दिया गया था।

उक्त के अतिरिक्त संगत वर्ष की देय आई.टी.सी ₹ 337502/- का सत्यापन भी कराया जाना वांछित था।

(i) व्यापारी **सर्वश्री नैनी रिट्रीट, मल्लीताल, नैनीताल (TIN 05003127790)** का **वर्ष 2015-16 के** कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि व्यापारी को coal, wood (₹ 140402/-) तथा solid fuel (₹ 129567/-) की खरीद ₹ 269969/- पर 5% एवं 9.5% की दर से ₹ 19329/- (₹ 7020 + ₹ 12309) की आई.टी.सी का लाभ अनुमन्य किया गया था जबकि उपरोक्त नियमानुसार व्यापारी को ₹ 8099/- (₹ 269969X3%) की आई.टी.सी अनुमन्य थी। इस प्रकार ₹ 11230/- की आई.टी.सी का लाभ अधिक दिया गया था।

उक्त के अतिरिक्त संगत वर्ष की देय आई.टी.सी ₹ 341631/- का सत्यापन भी कराया जाना वांछित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि जांचोपरांत आख्या दी जाएगी।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
RS/CT-167/2017-18	-	01,02	01,02,03

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
	शून्य		

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.), राज्य कर, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः** शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्रीमती स्मिता	डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.), राज्य कर, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(राजस्व क्षेत्र)